

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिंगनेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030) ई-मेल आईडी- logisticoffice4@gmail.com

पत्र संख्या: लाजि०-एम०टी०-०७ / २०२४ दिनांक: लखनऊ : फरवरी ९, २०२४

## आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-चार-125 (14)/2018 दिनांक 10-01-2024 के साथ प्राप्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(31)-2023 दिनांक 01-01-2024 द्वारा कतिपय आरक्षी चालकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप इनके प्रकरण में शासनादेश दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-7 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी हैं।

2— प्रश्नगत प्रकरण में गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित आरक्षी चालकों के बन्द लिफाफे खोलने की कार्यवाही की गयी। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में दोषमुक्त होने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति की संस्तुति की गयी है।

3— समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित आरक्षी चालकों को उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्रं	पीएनओ	पदनाम	नाम	पिता का नाम	चयन का वर्ष	नियुक्ति स्थान
1	842463533	आरक्षी चालक	नत्था राम	श्री परसादी	2015	अभिसूचना मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ
2	842400293	आरक्षी चालक	राजेन्द्र कुमार शर्मा	श्री नेत्रपाल शर्मा	2017	मुरादाबाद
3	832030813	आरक्षी चालक	अमरनाथ उपाध्याय	श्री गया प्रसाद उपाध्याय	2019	उ०प्र०पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
4	921240051	आरक्षी चालक	अवध नरायन	श्री द्वारिका प्रसाद	2017	अभिसूचना मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।
5	920650587	आरक्षी चालक	राजबाबू यादव	श्री राम गोपाल यादव	2019	झाँसी
6	980551846	आरक्षी चालक	राजकुमार यादव	श्री वेद प्रकाश सिंह	2022	रामपुर
7	870750177	आरक्षी चालक	अच्छे लाल यादव	श्री रामचन्द्र यादव	2019	बस्ती

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89—का—1—1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है। उक्त आदेश अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: स्वघोषणा पत्र का प्रारूप—क

*Balram*  
(राधेश्याम)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, लॉजिस्टिक्स,  
न०अपर पुलिस महानिदेशक—लाजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी में नियुक्त उपरोक्त आरक्षी चालकों को दिये गये निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें : -

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद एवं झाँसी।
4. पुलिस अधीक्षक, रामपुर एवं बस्ती।

स्व-घोषणा-पत्र

(नाम/पदनाम व पीएनओ)

मैं  
पुत्र \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_  
थाना \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_ वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)  
नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) 'मेरे विलद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-१९९१ के नियम-१४(१) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय व्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'
2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विलद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मी के विलद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-१९९१ के नियम-१४(१) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय व्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण-  
\_\_\_\_\_  
(2) मेरे विलद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-१९९१ के नियम-१४(१) के अन्तर्गत जनपद/इकाई \_\_\_\_\_ में कार्यवाही लंबित है, जिसमें दिनांक \_\_\_\_\_ को आरोप-पत्र दिया गया है।  
\_\_\_\_\_  
(3) मेरे विलद्ध मु०अ०सं०\_\_\_\_\_ धारा \_\_\_\_\_ थाना \_\_\_\_\_  
जनपद \_\_\_\_\_ में लंबित है, जिसमें दिनांक \_\_\_\_\_ को स्थानीय पुलिस अथवा जांच एजेन्सी \_\_\_\_\_ द्वारा आरोप-पत्र मा० व्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग \_\_\_\_\_ वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।  
\_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित  
जनपद/इकाई के प्रभारी  
नाम/पदनाम की मुहर

बोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काढ (X)  
दिया जाय।